

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spzh-up@nic.in



पत्र संख्या- 197/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-01.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 01.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना – अतरौलिया:- साइबर फ्राड के 3,800 रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 25.04.2025 को आवेदक मो० सुफियान पुत्र फिरोज अहमद निवासी बूढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के खाते से 3,800/- रुपये पेमेंट करते समय दूसरे के खाते में चला गया था। आवेदक के द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं 1930 पर शिकायत कर साइबर शिकायत संख्या 23104250063986 व 231042xxxxxxx पंजीकृत कराया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये विपक्षी के द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 3,800/- रुपये वापस आवेदक के खाते में करा दिया गया।

आवेदक मो० सुफियान उपरोक्त के प्रा०पत्र/ साइबर कम्पलेन के जांच के क्रम में कम्प्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में कुल 3,800/- रुपये वापस कराया गया है।

पुलिस टीम:-

- 1-कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड- ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
- 2-का० सत्येन्द्र यादव साइबर सेल आजमगढ़।



02.थाना-बिलरियागंज:-दुष्कर्म में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त वीरेन्द्र राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी बालमपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झासा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा शादी की बात करने पर अभियुक्त द्वारा अब आनाकानी किया जा रहा है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/25 धारा 69 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 01.06.2025 थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी बालमपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गोरिया बाजार से समय करीब 05.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 166/25 धारा 69 बीएनएस थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़. थाना बिलरियागंज आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- वीरेन्द्र राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी बालमपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



03.थाना निजामाबाद: ग्राम प्रधान को गोली मारने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 27.05.2025 को समय करीब रात्रि 8 बजे थाना निजामाबाद अन्तर्गत ग्राम रानीपुर के प्रधान प्रकाश यादव पुत्र राजबली यादव निवासी चुनहटा अपने घर से राजेश यादव के खेत के तरफ गये थे तभी पहले से साजिश के तहत ग्राम चुनहटा के ही सुशील यादव पुत्र बुद्धिराम यादव, दुबई यादव, पप्पू यादव पुत्रगण कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव व प्रवीण यादव पुत्र अज्ञात व प्रियांशु यादव पुत्र पप्पू यादव व तीन अज्ञात व्यक्ति अवैध असलहा से लैस होकर जान से मारने की फिराक मे बैठे थे। ग्रामप्रधान प्रकाश यादव को एकान्त में अकेले देख कर जान से मारने की नियत से तीन गोली मारे। जिससे प्रकाश यादव के पेट व जांघ में जानलेवा गंभीर चोटें आयी जिनका वाराणसी में इलाज चल रहा है। उसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़ित के पिता राजबली यादव पुत्र सरूप निवासी चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 28.05.25 को मु0अ0सं0 193/2025 धारा 109,351(2),3(5) BNS बनाम 1. सुशील यादव पुत्र स्व0 बुद्धिराम यादव 2. दुबई यादव 3. पप्पू यादव पुत्रगण रामअवध 4. प्रवीण यादव पुत्र अज्ञात 5. प्रियांशु यादव पुत्र पप्पू यादव निवासीगण ग्राम चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आमजगढ़ 6. तीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शमशाद खां द्वारा प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

कल दिनांक 31.05.2025 को SO हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वांछित अभियुक्त 1-पप्पू यादव पुत्र कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव उम्र 44 वर्ष 2- दुबई यादव पुत्र कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव उम्र 37 वर्ष निवासीगण चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ शेरपुर तिराहा के पास से समय करीब 19.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 193/2025 धारा 109,351(2),3(5) BNS थाना निजामाबाद, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पप्पू यादव पुत्र कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव
2. दुबई यादव पुत्र कनाई यादव निवासीगण चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 109,351(2),3(5) BNS थाना निजामाबाद, आजमगढ़
1. मु0अ0सं0 76/2012 धारा 307, 323, 504, 504, 506 IPC थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 109,351(2),3(5) BNS थाना निजामाबाद, आजमगढ़



04.थाना कन्धरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक- 01.06.2025 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम सौरा के पास से एक व्यक्ति रजनीश कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी भोरामकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 03.42 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 160/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-रजनीश कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी भोरामकबूलपुर थाना कंधरापुर आजमगढ उम्र करीब 20 वर्षी पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 160/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 206/24 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिंधारी
2. मु0अ0सं0 401/24 धारा 379/411 भादवि थाना मेहनगर
3. मु0अ0सं0 390/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना निजामाबाद
4. मु0अ0सं0 282/24 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/336(3)/338/340(2) बी.एन.एस. व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर
5. मु0अ0सं0 264/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना कन्धरापुर
6. मु0अ0सं0 226/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना कन्धरापुर
7. मु0अ0सं0 89/25 धारा 305/331(4) बी.एन.एस. थाना कन्धरापुर

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 160/25
3. 1200/- रूपये



05.थाना सरायमीर: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2025 को प्र0नि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर के बावत गैंग लीडर 1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त/सदस्य 2. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों तथा घरों व दुकानों में चोरी करने का एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहा है, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। उक्त गिरोह द्वारा दाण्डिक कृत्य गिरोह बन्द अधिनियम की उक्त गिरोह द्वारा दाण्डिक कृत्य गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा के (1) से आच्छादित है, जो गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि01986 की धारा 3(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है के आशय का अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 2. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसमे वांछित अभियुक्तर रूमान उपरोक्त को दिनांक 31.05.2025 को रात्रि 20.45 बजे गिरफ्तार गया है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 31.05.2025 को उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को यासीर बिलिडंग मैटेरियल के पास से समय करीब 20.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 238/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

| क्र0सं | मु0अ0सं | धारा | थाना | जनपद |
|--------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. | 504/24 | 3(5), 305, 317(2), 324(4), 331(4) | बीएनएस सरायमीर | आजमगढ़ |
| 2. | 479/24 | 3(5), 305, 317(2), 331(2) | बीएनएस सरायमीर | आजमगढ़ |
| 3. | 510/24 | 3/25 शस्त्र अधि0 | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 4. | 102/24 | 3/25 शस्त्र अधि0 | गंभीरपुर | आजमगढ़ |
| 5. | 213/23 | 4/10 वन संरक्षण अधि0 | बरदह | आजमगढ़ |
| 6. | 278/22 | 60 आबकारी अधि0 | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 7. | 27/20411/414 | भादवि | सरायमीर | आजमगढ़ |
| 8. | 23/20380/411 | भादवि | गौरा बादशाहपुर | जौनपुर |
| 9. | 243/17 | 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 | पवई | आजमगढ़ |
| 10. | 238/25 | 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 | गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 | सरायमीर आजमगढ़ |

कोतवाली सरायमीर



06.थाना – तहबरपुर: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक – 01.06.2025 उ0नि0 संतोष कुमार राय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मो0सा0 से आता दिखाई दिया, जिसे मौजूद पुलिस बल द्वारा रूकने हेतु ईशारा करते हुए रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु वाहन चालक द्वारा अपनी मो0सा0 को दूसरी दिशा में मोड़ कर भागने लगा की पुलिस द्वारा पीछा करके पकड़ लिया गया । पकड़े हुए व्यक्ति के पास से एक अदद चोरी की मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर बरामद हुआ जिस पर आजमगढ़ का नम्बर प्लेट लगा हुआ दिखा, नाम पता पूछे पर व्यक्ति द्वारा अपना नाम सुरेन्द्र यादव उर्फ ब्रह्मदेव यादव पुत्र राममनोहर उर्फ राममनोरथ यादव निवासी ग्राम रामपुर अरगुपुर कला थाना शाहगंज जनपद जौनपुर बताया, मौजूद पुलिस बल को शक होने पर कि उक्त व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला रात को यहा आने का प्रयोजन पूछने पर सही उत्तर नहीं दे सका, जिससे काफी कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब यह मो0सा0 फरवरी महिने में ग्राम गोरारी खलीलपुर थाना क्षेत्र खेतासराय जौनपुर में एक शादी शमारोह में से चुराया था जिसको छुपा कर रखा था अब मामला शान्त होने की दशा में मो0सा0 को आजमगढ़ का नम्बर प्लेट लगाकर बेचने निकला था, ग्राहक सेट करके औने पौने दाम पर इसको बेच देता, मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर जो चोरी का होना बताया गया जिसके नम्बर प्लेट को देखा गया तो नम्बर UP 50L 4899 प्लेट पर लिखा है, जिसके सम्बन्ध में पूछा गया तो बता रहा है कि साहब नम्बर प्लेट को मैने बदल दिया है ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके जबकि इसका वास्तवित नम्बर UP 62BP 1141 है बताये गये नम्बर को जरियो ई चलान ऐप पर देखा गया तो वाहन का संख्या:- UP 62BP 1141 इन्जन नम्बर:-JA5EGJ9H29126 चेचिस नम्बर:- MBLJAR033J9H14608 वाहन स्वामी का नाम:- मुंद्रिका मौर्य पुत्र अश्वनी कुमार निवासी गथना नरौली जनपद जौनपुर मो0नं0 812720xxxx माडल सुपर स्पलेण्डर आना प्रदर्शित हुआ । तथा मो0सा0 के निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त पकड़ गये व्यक्ति द्वारा मो0सा0 के चोचिस नम्बर व इन्जन नम्बर को भी खुरूच कर मिटाने का प्रयास किया गया था । बाद होने इत्मिनान की उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मो0सा0 को कब्जा पुलिस में लिया गया तथा उक्त मो0सा0 की तस्दीक हेतु जरिये उचित माध्यम थाना खेता सराय से सम्पर्क किया गया तो ज्ञात हुआ की उक्त मो0सा0 की चोरी का अभियोग पंजीकृत है । आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना खेता सराय जनपद जौनपुर को अवगत कराया गया । तत्पश्चात गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 121/2025 धारा 35(ख),317(2),317(4),318(4),338,336(3),340(2) भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सुरेन्द्र यादव उर्फ ब्रह्मदेव यादव पुत्र राममनोहर उर्फ राममनोरथ यादव निवासी ग्राम रामपुर अरगुपुर कला थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

क्रं0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1 342/2024 75/351(3) भा0न्या0सं0 अखण्डनगर सुलतानपुर

2 155/2022 323/427/504/506 भा0द0वि0 शाहगंज जौनपुर

3 40/2025 303(2) भा0न्या0सं0 खेता सराय जौनपुर

बरामदगी:-

1. एक अदद चोरी की मो0सा0



07.थाना बिलरियागंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2025 को आवेदिका थाना बिलरियागंज आजमगढ थाना हाजा पर उपस्थित आकर प्रा0पत्र दिया कि हमारी शादी के पूर्व मे किशन कुमार पुत्र रामकेश राम ने मिलते जुलते हुऐ हमारा फोटो व विडियो बना लिया । हमारी शादी होने पर उसको कोई ऐतराज नही था लेकिन शादी होने के लगभग 4 वर्ष बाद किशन कुमार ने उसी फोटो विडियो के द्वारा ससुराल रहते हुऐ वायरल करने लगा तथा हमको वेलैकमेल करते हुऐ परेशान करने लगा । इसी वीच हम प्रार्थीनी मयके ग्राम वरोही फतेहपुर आ गयी तो फिर किशन कुमार ने उसी फोटो व विडियो के द्वारा हमको वायरल करने तथा परिवार के लोगो को मारने मरवाने की धमकी देने लगा तथा अपने साथ ले जाकर शादी करने की वात कहने पर 6 माह पूर्व वह अपने साथ हमको लेकर नोएडा चला गया हम गहना विखर साथ ली थी तथा पैसा रूपया भी उसके कहने पर साथ ले गयी थी लेकिन वहाँ लेकर हमारा गहना विखर बेच बाच दिया पैसा रूपया खा गया फिर हमको दिनांक 25/5/025

को विलरियागंज बाजार मे रात्रि मे छोड़कर वह फरार हो गया कुछ करने पर परिवार के लोगो को मारने पिटने की धमकी दिया है, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 164/25 धारा 69/84/351(3)बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक- दिनांक- 01.06.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित किशन कुमार पुत्र रामकेश निवासी बरोही फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 164/25 धारा 69/84/351(3)बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- किशन कुमार पुत्र रामकेश निवासी बरोही फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

